संख्या-190/2019/3618/26-3-2019

प्रेषक,

मनोज सिंह,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1-समस्त मण्डलायुक्त,उ0प्र0।
2-समस्त जिलाधिकारी,उ0प्र0।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक 22 अगस्त 2019

विषयः अनुसूचित जाति के व्यक्तियों का जाति प्रमाण पत्र भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप पर अंग्रेजी में निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-124/2019/2005/26-3-2019, दिनांक-10.05.2019 एवं शासनादेश संख्या-124/2019/2005/26-3-2019, दिनांक 21.05.2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उक्त शासनादेश संख्या-124/2019/2005/26-3-2019, दिनांक-10.05.2019 में त्रुटिवश (धंगड़) DHANGAR अनुसूचित जाति के व्यक्तियों का जाति प्रमाण पत्र भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप पर अंग्रेजी में निर्गत किये जाने के निर्देश निर्गत हो गये है जब कि अनुसूचित जाति के व्यक्तियों का जाति प्रमाण पत्र भारत सरकार द्वारा निर्धारित संलग्न प्रारूप पर अंग्रेजी में निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-124/2019/2005/26-3-2019, दिनांक 21.05.2019 निर्गत किया गया है।

3- अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-124/2019/2005/26-3-2019,दिनांक 10.05.2019 को निरस्त माना जाये तथा निर्गत शासनादेश संख्या-124/2019/2005/26-3-2019, दिनांक 21.05.2019 (छायाप्रति संलग्न) का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए अनुसूचित जाति के व्यक्तियों का जाति प्रमाण पत्र भारत सरकार द्वारा निर्धारित संलग्न प्रारूप पर अंग्रेजी में निर्गत करने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,
मनोज सिंह
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

पृ0सं0-190/2019/3618/(1)/26-3-2019 तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
2. निदेशक, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ।

आज्ञा से,
सतीश कुमार
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या–124/2019/2005/26–3–

प्रेषक,

मनोज सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1– समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
2– समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।

समाज कल्याण अनुभाग–3 लखनऊ : दिनांक 21 मई 2019

विषयः **अनुसूचित जाति के व्यक्तियों का जाति प्रमाण पत्र भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप पर अंग्रेजी में निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन) अधिनियम–1976 में उत्तर प्रदेश हेतु अनुसूचित जातियों की सूची को अधिसूचित किया गया है। भारतवर्ष के अधिकांश राज्यों में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के जाति प्रमाण पत्र उनकी मांग के अनुसार हिन्दी अथवा अंग्रेजी में निर्गत किये जाते हैं। अभी तक अंग्रेजी में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को जाति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने की व्यवस्था नहीं है। अतः शासन द्वारा सम्यक्विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया है कि अनुसूचित जाति के व्यक्तियों का जाति प्रमाण पत्र उनकी मांग के अनुसार भारत सरकार द्वारा निर्धारित संलग्न प्रारूप पर अंग्रेजी में निर्गत किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

(मनोज सिंह)
प्रमुख सचिव।

पृ0सं0–124/2019/2005(1)/26–3–2019 तद्दिनांक–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
2– निदेशक, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, उ0प्र0 लखनऊ।

आज्ञा से,

(मनोज सिंह)
प्रमुख सचिव।

page-1051

D.P. Dwivedi g.o

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

FORM OF CASTE CERTIFICATE FOR SCHEDULED CASTES /SCHEDULED TRIBES BENLONGING TO STATE OF UTTAR PRADESH

This is to certify that Shri/Shrimati//Kumari.....

son /daughter of.....Village/Town.....district.....

.....of the State of Uttar Pradesh belongs to..... caste/Tribe which is recognised as a Scheduled Caste/Scheduled Tribe under:-

The Constitution(Scheduled Castes)Order 1950.

The Constitution(Scheduled Tribes)Order 1950.

The Constitution (Uttar Pradesh) Scheduled Tribes Order 1967.

The Constitution Scheduled Castes and Scheduled Tribes order(Amendment) Act 1976

The Scheduled Castes and Scheduled Tribes order(Amendment) Act 2002.

Shri/Shrimati//Kumari and /or his/her family member ordinarily reside(s) in village/Town..... District..... of the State of Uttar Pradesh.

Place.....

Date.....

Signature.....

Designation.....

(With seal of Office)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

FORM OF CASTE CERTIFICATE FOR SC/ST

The format of the certificate to be produced by Scheduled Castes or Scheduled Tribes candidates applying for appointment to posts under the Government of India.

This is to certify that Shri /Shrimati/Kumari* .....

son/daughter* of .....of Village / Town* .....in

District/Division* .....of State / Union Territory* .....belongs to the.....Caste / Tribe* which is recognised as a Scheduled Caste / Scheduled Tribe* under:-

The Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950
The Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950
The Constitution (Scheduled Castes) (Union Territories) Order, 1950
The Constitution (Scheduled Tribes) (Union Territories) Order, 1951
(As amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Lists (Modification) Order, 1956, the Bombay Re-organisation Act, 1960, the Punjab Re-organisation Act, 1966, the State of Himachal Pradesh Act, 1970 and the North Eastern Area (Re-organisation) Act, 1971 and the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders,(Amendment) Act, 1976)
The Constitution (Jammu & Kashmir) Scheduled Castes order, 1956.
The Constitution (Andaman and Nicobar Islands) Scheduled Tribes Order, 1959 @ as amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Order (Amendment)Act, 1976.
The Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Castes Order, 1962.
The Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Tribes, Order, 1962@
The Constitution (Pondicherry) Scheduled Castes Orders, 1964@
The Constitution (Scheduled Tribes) (Uttar Pradesh) Order, 1967@
The Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Castes Order, 1968@
The Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Tribes Order, 1968@
The Constitution (Nagaland) Scheduled Tribes Order, 1970@
The Constitution (Sikkim) Scheduled Castes Order, 1978@
The Constitution (Sikkim) Scheduled Tribes Order, 1978@
The Constitution (Jammu & Kashmir) Scheduled Tribes order 1989@
The Constitution (SC) orders (Amendment)Act,1990@
The Constitution (ST) orders (Amendment) Ordinance 1991@
The Constitution (ST) orders (Second Amendment) Act, 1991@
The Constitution (ST) orders (Amendment) Ordinance 1996.

% 2. Applicable in the case of Scheduled Castes, Scheduled Tribes persons who have migrated from one State/Union Territory Administration. This certificate is issued on the basis of the Scheduled Castes/Scheduled tribes certificate issued to Shri/Shrimati Father/mother of Shri/Srimati/Kumari* of village/town* in District/ Division* of the State/Union Territory* who belong to the Caste/Tribe which is recognized as a Scheduled Caste/Scheduled Tribe in the State/Union Territory* issued by the _____ dated_____.

%3. Shri/Shrimati/Kumari * _____and / or his / her* family, reside(s) in village/town* _____ of*_____District/Division* of the State / Union Territory* of _____.

Signature .....

**Designation .....

(with seal of Office)

Place.....

Date ....

* Please delete the words which are not applicable.
@ Please quote specific Presidential Order.
% Delete the paragraph which is not applicable.

NOTE: The term, ordinarily reside(s) used here will have the same meaning as in section 20 of the Representation of the People Act, 1950.

** List of authorities empowered to issue Caste/Tribe Certificates:

(i) District Magistrate/Additional District Magistrate/Collector/Deputy Commissioner/Additional Deputy Commissioner/Dy. Collector/ Ist Class Stipendiary Magistrate/Sub-Divisional Magistrate/Extra-Assistant Commissioner/Taluka Magistrate/Executive Magistrate.
(ii) Chief Presidency Magistrate/Additional Chief Presidency Magistrate/Presidency Magistrate.
(iii) Revenue Officers not below the rank of Tehsildar.
(iv) Sub-Divisional Officers of the area where the candidate and/or his family normally resides.

NOTE: ST candidates belonging to Tamil Nadu state should submit caste certificate ONLY FROM THE REVENUE DIVISIONAL OFFICER.

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।